अनुदान संख्या 72 – योजना मंत्रालय
GRANT No. 72–MINISTRY OF PLANNING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	106,80,00		118,06,00	104,54,37	–13,51,63
पूरक	Supplementary	11,26,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,16,25

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (1351.63 लाख रु.) दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1126.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.1351.63 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1126.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and constituted 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	8311.00	8382.25	8236.49	–145.76
पू.	S.	146.00			
पु.	R.	–74.75			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
पू.	S.	980.00	121.00	87.82	–33.18
पु.	R.	–859.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	2067.00	1895.50	1839.14	–56.36
पु.	R.	–171.50			

(I) 2.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य सरकारों को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3601" - "Grants-in-aid to State Governments".

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''योजना आयोग/योजना बोर्ड - कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन'' के अंतर्गत 282.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 14.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 296.20 लाख रु. कर दिया गया था। तथापि, 19.45 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम छुट्टी यात्रा रियायत प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Planning Commission/Planning Board - Programme Evaluation Organisation" - the original provision of Rs.282.00 lakhs was augmented to Rs.296.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.14.20 lakhs. However, there was a saving of Rs.19.45 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less leave travel concession proposals.

(III) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - प्राकृतिक विपत्ति का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम'' के अंतर्गत 980.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान द्वारा प्राप्त की गई थीं तथापि, जो, देर से अनुमोदन प्राप्त होने की वजह से सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम संबंधी निधियों का उपयोग न किए जाने और साथ ही कार्यक्रम प्रबंधन के लिए परामर्शी शुल्क की अदायगी न किए जाने तथा ''तटीय संरक्षण उपाय'' पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन न किए जाने के कारण 892.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) Under Major Head "2245" – "General - Management of Natural Disasters, Contingency Plans in Disaster Prone Areas –Tsunami Rehabilitation Programme"- funds of Rs.980.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.892.18 lakhs - due to non-utilisation of funds of Tsunami Rehabilitation Programme owing to late approval and also on account of non-payment of consultancy fee to the programme management and non-organising of technical workshop on "Coastal Protection Measures".

(IV) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''योजना आयोग/योजना बोर्ड'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3451" – "Planning Commission/Planning Board" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण'' - 220.70 लाख रु. की बचत (5310.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय उपस्करों, कंप्यूटरों, फोटोकापियर, फैक्स मशीनों और इसके उपसाधनों से संबंधित विभिन्न क्रयों को अंतिम रूप न दिए जाने, हार्डवेयर/साफ्टवेयर मदों की अधिप्राप्ति के संबंध में पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से नामे दावे प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(A) "Modernisation of Office Systems"- saving of Rs.220.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5310.00 lakhs) was due to non-finalisation of various purchases relating to office equipments, computers, photocopiers, fax machines and its accessories and non-receipt of debit claims from Director General of Supplies and Disposals against procurement of hardware/ software items.

(खा) ''प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्'' - 129.48 लाख रु. की बचत (171.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और घरेलू तथा विदेशी दौरों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(B) "Economic Advisory Council to the Prime Minister"- saving of Rs.129.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.171.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction in number of domestic and foreign tours.

(V) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय - योजना के लिए 50वें वर्ष की शुरुआत'' के अंतर्गत 550.12 लाख रु. की बचत (1012.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ मुख्य अध्ययनों को स्थगित किए जाने और प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure – 50th Year Initiative for Planning"- saving of Rs.550.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1012.00 lakhs) was due to postponement of some major studies and non-utilisation of funds for studies to be conducted by Programme Evaluation Organisation owing to non-receipt of proposals.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (149.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''योजना आयोग/योजना बोर्ड - राष्ट्रीय ज्ञान आयोग'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.149.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "3451"- "Planning Commission/Planning Board - National Knowledge Commission."

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय - राज्य मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 284.08 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा द्वारा परियोजना से संबंधित दावों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3475" - "Other Expenditure - Assistance from UNDP for Preparation of State Human Development Reports" - excess of Rs.284.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to settlement of claims relating to project by the Controller of Aid Accounts and Audit.